नेशनल लोक अदालत जिला जबलपुर खंडपीठ क्रमांक–22

(पीठासीन अधिकारी– बृजेश सिंह,

सदस्य–तीसवां अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर)

Registration No.	**MACC 1982/2024**
Filling No.	**MACC 2454/2024**
CNR No.	**MP20010064142024**
Date Of Institution	**19.02.2024**

1. अवधेश प्रसाद पिता राम मनोहर,
   उम्र 48 वर्ष,
2. जय तिवारी पिता अवधेश तिवारी,
   उम्र 25 वर्ष,
   दोनों निवासी–म.नं. 77, वार्ड नं. 13, ग्राम पंचायत
   अमखेरा, गोहलपुर, जिला–जबलपुर (म.प्र.)

.....**आवेदकगण**

// विरुद्ध //

1. अनिल कुमार कुशवाहा पिता आर.सी. कुशवाहा,
   उम्र 35 वर्ष,
   निवासी–85, करौदी वार्ड कोड रोड रांझी,
   जिला–जबलपुर (म.प्र.)
   (चालक मो.सा. क्रमांक MP-20 MX-0298)
2. वीनेन्द्र कुमार रावी पिता एम.एल. रावी,
   निवासी–म.नं. 3001, सेंट्रल बैंक तालाब के पास,
   गोकलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)
   (मालिक मो.सा. क्रमांक MP-20 MX-0298)
3. एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
   पता–हाफिन टॉवर 1640 मिशन कम्पाउंड रोड नेपियर टाउन,
   जिला जबलपुर (म.प्र.)
   (बीमा कंपनी मो.सा. क्रमांक MP-20 MX-0298)

.....**अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा : श्री अर्जुन साहू अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 01 व 02 द्वारा : एकपक्षीय
अनावेदक क्र. 03 द्वारा : श्री संजीव मिश्रा अधिवक्ता।

::: अधिनिर्णय :::

(आज दिनांक 09.05.2026 को पारित)

1. आज दिनांक को इस खंडपीठ के समक्ष आवेदक पक्ष एवं अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा आपसी समझौता आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके मध्य लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता हो चुका है, जिसके अधीन आवेदक पक्ष समस्त क्षति के संबंध में एकमुश्त धनराशि **14,25,000/–रुपये (चौदह लाख पच्चीस हजार रुपये)** प्राप्त कर प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से समाप्त कराना चाहता हैं।

2. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक पक्ष की ओर से अधिकरण के समक्ष धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने की सहायता हेतु अनावेदक पक्ष के विरुद्ध यह क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. समझौता आवेदन के संबंध में उभयपक्ष से आवश्यक चर्चा किये जाने समझौता आवेदन में अभिव्यक्त अंतर्विष्टियों के अधीन स्वेच्छापूर्वक समझौता किया जाना प्रकट हुआ है। आवेदक पक्ष ने समस्त अनावेदकगण के संबंध में उक्त राजीनामा प्रभावी होना व अन्य किसी अनावेदक से दुर्घटना के संबंध में भविष्य में कोई क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन अथवा अन्य कोई कार्यवाही अग्रेषित न किया जाना व्यक्त किया है।

4. माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा निराकृत रिट याचिका कमांक 07/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 एवं माननीय म.प्र उच्च न्यायालय द्वारा तत्संबंध में जारी किये गये निर्देश लोक अदालत में आपसी समझौते पर भी लागू होते हैं। आवेदक द्वारा उसके बचत खाते के विवरण, खाते से संबंधित बैंक पासबुक व बैंक का सत्यापन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे खाते का सत्यापन अधिकरण एवं बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया जा सका है।

5. प्रकरण का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर होने से उभयपक्ष के मध्य विवाद पूर्णतः समाप्त हो चुका है एवं अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा शीघ्र धनराशि निक्षेप करने हेतु तत्पर होना व्यक्त किया गया है, ऐसी दशा में उक्त दस्तावेजों के अभाव में प्रकरण को लंबित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुये यह अधिनिर्णीत किया जाता है कि अनावेदक बीमा कंपनी समस्त मदों के संबंध में एकमुश्त धनराशि **14,25,000/–रुपये (चौदह लाख पच्चीस हजार रुपये)** क्षतिधन स्वरूप आवेदक पक्ष को आज दिनांक से दो माह की अवधि में अदा करेंगी। यदि उक्त दो माह के अवसान उपरांत उक्त धनराशि अदा नहीं की जाती है, तब अवार्ड दिनांक से उक्त धनराशि सहित उस पर 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा आवेदक पक्ष को अदा किया जायेगा और उक्त राशि का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा :–

आवेदक का नाम	अधिनिर्णीत राशि	खाते के माध्यम से भुगतान योग्य राशि	सावधि
अवधेश प्रसाद	7,12,500/–रुपये	5,87,500/–रुपये	1.25 लाख रुपये की एफ.डी.आर. एक वर्ष के लिये तैयार की जावे।
जय तिवारी	7,12,500/–रुपये	5,87,500/–रुपये	1.25 लाख रुपये की एफ.डी.आर. एक वर्ष के लिये तैयार की जावे।

7. बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि, वह माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक बी/7344/रजि. (आई.टी.)/2025 आदेश दिनांक 08.10.2025 के पालन में क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, इस अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बार कांउसिल हाईकोर्ट शाखा जबलपुर म.प्र. के बैंक **खाता क्र.–519302010246134**, **IFSC Code–UBIN0551937** में RTGS/NEFT/ERP DASH BOARD के माध्यम से जमा कर इसकी सूचना इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

8. आवेदकगण के द्वारा अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुतकार को निर्देशित किया जाता है कि आवेदकगण द्वारा अपना बैंक पासबुक या क्रॉस्ड चैक प्रस्तुत किये जाने पर इस प्रकरण के संबंध में इस अधिकरण के खाते में जमा उक्त अवार्ड राशि आवेदकगण के बैंक खाते में RTGS/NEFT/ERP DASH BOARD के माध्यम से सीधे

भुगतान की जावे।

9. उभयपक्ष अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

10. यह अधिनिर्णय धारा 21 विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम क्रमांक 39/1987 के अनुसार डिक्री का स्थान रखेगा एवं राजीनामा आवेदन पत्र इस निधिनिर्णय का भाग रहेगा।

स्थान :– जबलपुर
दिनांक :– 09.05.2026

श्रीमती अम्बिका चौधरी
सदस्य
खंडपीठ क्र.–22 नेशनल लोक अदालत

बृजेश सिंह
पीठासीन अधिकारी
खंडपीठ क्र.–22 नेशनल लोक अदालत

BRIJESH SINGH

Digitally signed by BRIJESH SINGH
Date: 2026.05.09 17:39:40 +0530